भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †3052
07अगस्त, 2025 को उत्तर देने के लिए

प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना

†3052. श्री राजू बिष्ट:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल के लिए और विशेषकर दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में 2019 से जून 2025 तक प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत कुल कितनी निधि आवंटित की गई है और कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई हैं;

(ख) इस योजना के अंतर्गत कितनी परियोजनाए संचालित की गई हैं और इसके परिणामस्वरूप उक्त जिलों में कार्यशील प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता में कितनी वृद्धि हुई हैं; और

(ग) इसके अंतर्गत अपशिष्ट में कमी से संबंधित आंकड़े क्या हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) एक केंद्रीय क्षेत्र की मांग आधारित योजना है और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों सहित पूरे भारत से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पीएमकेएसवाई की किसी भी घटक योजना के तहत राज्यवार धनराशि आवंटित/स्वीकृत/जारी नहीं की जाती है। मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार प्राप्त प्रस्तावों की पात्रता की जांच की जाती है और निर्धारित मानदंडों के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। धन की उपलब्धता के आधार पर पात्र प्रस्तावों को योग्यता आधारित अनुमोदन दिया जाता है। 30.06.2025 तक, पश्चिम बंगाल राज्य में 2019 से 2025 तक 110.54 करोड़ रुपये की स्वीकृत अनुदान सहायता के साथ 27 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। दार्जिलिंग जिले में 2019 से जून, 2025 तक स्वीकृत 01 परियोजना का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है । आज तक कलिम्पोंग जिले में किसी भी परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है।

(ख) और (ग): पश्चिम बंगाल राज्य में 30.06.2025 तक पीएमकेएसवाई के अंतर्गत कुल 42 परियोजनाएँ चालू/पूरी हो चुकी हैं , जिससे 8.16 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी)/वर्ष की प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजित हुई है और तदनुसार, इन पूर्ण परियोजनाओं द्वारा सृजित क्षमता के अनुसार बर्बादी में कमी आई है। इन 42 परियोजनाओं में से, 02 परियोजनाएँ दार्जिलिंग ज़िले में पूरी हो चुकी हैं, जिससे 0.31 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी)/वर्ष की प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजित हुई है।

*****

अनुबंध

दिनांक 07.08.2025 को उत्तर हेतु "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3052 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में 2019 से जून 2025 तक स्वीकृत 01 परियोजना का विवरण										
क्रमांक	**योजना**	**परियोजना का नाम**	**क्षेत्र**	**अनुमोदन की दिनांक**	**परियोजना लागत**	**स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)**	**जारी अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)**	**स्थिति**	**रोज़गार**	**किसान लाभान्वित**
1	**खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना (सीईएफपीपीसी)**	मेसर्स आरसन लोज़ेंजेस फैक्ट्री	उपभोक्ता उत्पाद	29.05.2019	4.75	1.31	1.2333	पूर्ण	150	51